कार्यालय वन वृत्त, बैतूल (म.प्र.)

कार्यालय : (07141) 234396, ई–मेल : ccf.btl@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 816 बैतूल, दिनांक / 8/2/18

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,

(सामान्य) दक्षिण वनमंडल,बैतूल

विषयः वन संरक्षण अधिनियम–1980 के तहत बैतूल विण्ड फार्म बैतूल को मार्ग एवं ट्रांसमिशन लाईन उपयोग हेतु वनभूमि के व्यपवर्तन के लंबित प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भः 1–आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 151, दिनांक 06.02.2018

2–इस कार्यालय का पत्र कमांक / मा0चि0 / 2018 / 785,दिनांक 06 / 02 / 2018

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि विषयांकित प्रकरण में बैतूल विण्ड फार्म बैतूल को मार्ग एवं ट्रांसमिशन लाईन उपयोग हेतु वनभूमि के व्यपवर्तन के लंबित प्रस्ताव के संबंध में प्रस्ताव कमांक FP/MP/WIND/6893/2014 को वनमंडल कार्यालय के द्वारा आनलाईन दिनांक 25 / 01 / 2018 में किया जाकर प्रस्ताव की हार्ड कापी संदर्भित पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 151, दिनांक 06.02.2018 से प्रस्ताव की तीन प्रतियां अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

यहां लेख है कि विषयांकित प्रकरण को जब दिनांक 25 / 01 / 2018 में वनमंडल स्तर पर आनलाईन किया गया था तो प्रस्ताव की प्रतियां आपके संदर्भित पत्र क्रमांक / मा. चि. / 2018 / 151, दिनांक 06.02.2018 में विलम्ब से क्यों प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव का अवलोकन किये जाने पर प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की बिना टी0 एस0 के आनलाईन अपलोड क्यों किया गया है इस बाबत स्थिति स्पष्ट करें तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर आवश्यक कार्यवाही करें। इस संबंध में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र कमांक / मा0चि0 / 2018 / 785, दिनांक 06 / 02 / 2018 का अवलोकन करें, तदानुसार दिये गये निर्देशानुसार वांछित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना में पाई गई कंमियों की पूर्ति की जाकर पुनरीक्षित योजना तत्काल प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि योजना में अग्रिम कार्यवाही शीघ्र संपादित की जा सकें।

अतः आपके संदर्भित पत्र से प्रेषित प्रस्ताव मूलतः वापस किया जाता है तथा भविष्य हेतु टीप किया जावें कि एफ0सी0ए0 के जारी निर्देशों के तहत ही प्रस्तावों में वनमण्डल स्तर की कार्यवाही की जावें एवं निर्देशों के अनुरुप विषयाकित प्रस्ताव में निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार पूर्ति की जाकर प्रस्ताव यथाशीघ्र प्रेषित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

8/2/18

(पी.एस.चम्पावत)

मुख्य वन संरक्षक,

बैतूल